विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-14/17

मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल, — आवेदक
द्वारा– डॉ. निलेश डेहरिया,
मेन बाजार, खण्डवा रोड़, सिमरोल,
जिला–इंदौर म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., महू
जिला– इंदौर म.प्र.

आदेश

(दिनांक 24.06.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0362017 मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल, सिमरोल विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., महू जिला–इंदौर एवं अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–14/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 21.06.2017 को सुनवाई में आवेदक के अधिवक्ता श्री आशुतोष एवं अनावेदक की ओर से श्री आर.के. अग्रवाल, सहायक यंत्री, सिमरोल, महू उपस्थित हुए।

04 आवेदक द्वारा अपनी अपील में प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा ग्राम सिमरोल जिला–इंदौर में मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। उक्त हॉस्पिटल में एक विद्युत कनेक्शन मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल प्रो. डॉ. निलेश डेहरिया के नाम से लिया हुआ है।

05 उक्त हॉस्पिटल भागीदारी फर्म है जिसमें कि आवेदक के अलावा तीन अन्य भागीदार भी संचालन में शामिल हैं एवं उक्त फर्म को अभी dissolved (भंग) नहीं किया गया है।

06 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि भागीदारी पत्रक में इस बात का उल्लेख है कि यद्यपि जहॉ हॉस्पिटल भवन बनाया गया है वह भूमि तीन भागीदारों की है तथा आवेदक द्वारा उस भूमि पर हॉस्पिटल का निर्माण कर संचालन किया जा रहा है। आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भागीदारी पत्रक में फर्म के प्रत्येक भागीदार फर्म में भागीदारी के विरूद्ध कोई

भी कार्य नहीं कर सकेंगे तथा किसी भी कारणों से भागीदार द्वारा भागीदारी फर्म छोड़ने पर साझेदारी फर्म का विघटन नहीं किया जाएगा एवं शेष रहे भागीदारों द्वारा एक भागीदार फर्म के व्यवसाय को जारी रखा जाएगा।

07 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि भागीदारी पत्रक की शर्त के अनुसार किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने के कारण सभी पक्षों द्वारा उक्त विवाद का निराकरण आपसी सहमति से नियुक्त पंच द्वारा किये गये निर्णय पक्षों में समान रूप से बंधनकारी रहेगा। उक्त कार्यवाही मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जाएगी एवं इस भागीदारी पत्रक के अनुसार भागीदारी फर्म पर भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे।

08 भागीदारों द्वारा एक मुखतयारनामा जारी किया गया जिसमें आवेदक को मेसर्स के.एन.डी. हास्पिटल संचालन करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा अन्य कार्यों के अलावा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल/विद्युत अनुज्ञप्तिधारी से पत्राचार करने, आवेदन देने, अनुबंध निष्पादित करने आदि के लिए भी अधिकृत किया गया है। आवेदक द्वारा बताया गया कि तदनुसार मुखतयारनामा में दिये गये निष्पादित कार्यों के अनुसार उनके द्वारा मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल प्रो. डॉ. निलेश डेहरिया के नाम से विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन दिया तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उन्हें विद्युत कनेक्शन स्वीकृत कर विद्युत प्रदाय की गई। विद्युत कनेक्शन के दिनांक से लगातार नियमित रूप से विद्युत बिलों का भुगतान उनके द्वारा किया जा रहा है।

09 आवेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत कनेक्शन उन्हें भागीदारी फर्म मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल के नाम से जारी किया गया है । परन्तु उनके द्वारा भूल से पार्टनर की जगह प्रोपराईटर लिख दिया गया है। क्योंकि भागीदार फर्म में प्रोपराईटरशिप होना लागू नहीं होता है ।

10 आवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि हॉस्पिटल के संचालक प्रारंभ होने के दो वर्ष बाद आवेदक एवं अन्य तीन पार्टनर के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर अन्य भागीदारों द्वारा मुखतयारनामे को निरस्त कर दिया गया एवं अनुज्ञप्तिधारी पर इस आधार पर कि मुखतयार नामा निरस्त कर दिया गया है, विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने हेतु दबाव बनाया गया। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया।

11 अनुज्ञप्तिधारी के उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा एक याचिका 6699/2016 माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर में प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.9.2016 को अपने आदेश में विद्युत कनेक्शन जोड़ने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को निर्देशित किया गया।

12 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका की सुनवाई के दौरान दिनांक 11.1.2017 को प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा ली गई आपत्ति कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक प्रभावोत्पादक उपाय उपलब्ध होने के कारण उनके द्वारा दर्ज याचिका श्रवण करने योग्य नहीं है तथा चूंकि मुखतयारनामा को निरस्त कर दिया गया है अतः याचिकाकर्ता किसी तरह की रियायत पाने का हकदार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में निर्देशित किया गया कि याचिकाकर्ता विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के पास अपनी शिकायत के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम आवेदक को कोई रियायत देने से पूर्व फर्म के अन्य भागीदारों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का भी ध्यान रखें।

13 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि भागीदारी पत्रक में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार किसी भी पक्ष द्वारा विवाद की स्थिति में आर्बिटेशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किये जाने का प्रावधान है। अतः पार्टनरशिप डीड खारिज करने का अन्य तीन भागीदारों को अधिकार नहीं है तथा इस संबंध में आर्बिटेशन प्रकरण क्रमांक 6/16, 12वें अतिरिक्त न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय में लगाई गई है जो कि विचाराधीन है।

14 आवेदक के उपरोक्त कथनों की पुष्टि नस्ती में उपलब्ध दस्तावेजों से होती है।

15 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.04.2017 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रकरण परिसर के मालिकाना हक एवं भागीदार से संबंधित है अतः सक्षम न्यायालय/आर्बिटेटर के निर्णय के पश्चात ही प्रकरण में विपक्ष नियमानुसार कार्यवाही करे। अतः इस स्तर पर मालिकाना हक पर कोई निर्णय करना फोरम के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रकरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है तथा अनुज्ञप्तिधारी को निर्देशित किया गया कि वे मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल को विद्युत कनेक्शन देते समय जो दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये थे, उनकी सत्यता की 30 दिनों के अंदर जॉच करें एवं दस्तावेज अपूर्ण, अवैध या गलत पाये जाने पर नियमानुसार 15 दिन का नोटिस जारी कर तथा नोटिस की अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्यवाही करें।

16 आवेदक द्वारा बताया गया कि माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश दिनांक 26.4.2017 के निर्णय के विपरीत जाकर अनावेदक के अधीनस्थ कार्यरत सहायक यंत्री, सिमरोल द्वारा उन्हें बार–बार उनके हॉस्पिटल का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने का नोटिस देकर धमकाया जा रहा है, अतः इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने हेतु अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

17 अनावेदक द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में अपनी लिखित वहस प्रस्तुत की जिसमें कि उनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि फोरम के निर्णय के प्रतिपालन में मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल द्वारा पूर्व में विद्युत कनेक्शन लेने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये थे उनकी जॉच करने पर समस्त दस्तावेज पूर्ण पाये गये अतः विद्युत विभाग को कनेक्शन जारी रखने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

18 **उपरोक्तानुसार उभय पक्षों के कथन, लिखित वहस तथा तर्कों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि –**

अ मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल को विद्युत कनेक्शन देते समय जो दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये थे वे वैद्य एवं पूर्ण दस्तावेज थे इसके उपरांत ही विद्युत कनेक्शन दिया गया। इसकी पुष्टि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपनी लिखित वहस में किया गया है।

ब आवेदक एवं अन्य तीन भागीदारों के बीच के विवाद का निराकरण सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जाना है जिसके लिए आवेदक द्वारा आर्बिटेशन प्रकरण 12वें अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अन्य तीन भागीदारों के हस्तक्षेप अथवा दबाव बनाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने हेतु न तो नोटिस जारी करना चाहिए और न ही विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना चाहिए, जब तक कि आवेदक द्वारा नियमित रूप से विद्युत बिलों का भुगतान किया जाता रहे।

स फर्म के अन्य तीन भागीदारों द्वारा अपने स्तर पर मुखतयारनामा निरस्त कर मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कराने की कार्यवाही उचित एवं न्यायपूर्ण नहीं है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ चूंकि आवेदक द्वारा अन्य भागीदारों के बीच उत्पन्न विवाद की सुलह हेतु मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत दर्ज प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं आवेदक द्वारा मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल के लिए विद्युत कनेक्शन लिये जाने के समय प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच अनुज्ञप्तिधारी द्वारा फोरम के आदेश के परिपालन में की गई तथा दस्तावेज पूर्ण पाये गये। अतः जब तक मेसर्स के.एन.डी. हॉस्पिटल के द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है तब तक उनका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्यवाही नहीं की जाए।

ब आवेदक द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत दर्ज प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार आवेदक एवं अनावेदक अगली वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

स उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

19 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल